

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

**Lok Sabha**  
Un-Starred Question No 172  
To be answered on Monday, 3<sup>rd</sup> February 2025  
Magha 14, 1946 (Saka)

**Dearness Allowance of Central Government Employees during COVID-19**

**172: Shri Anand Bhadauria :**

Will the Minister of *Finance* be pleased to state :

- a) Whether dearness allowance and dearness relief for Central Government employees and pensioners during the Covid-19 were withheld for 18 months but not seized;
- b) If so, the details thereof and the reasons for its seizure by the Government;
- c) Whether the Government would release the same to ensure spending by the Government employees and thereby help in boosting the faltering economy of the Country;
- d) If so, the details thereof ;
- e) If not, the reasons therefor?

**Answer**

**Minister of State in the Ministry of Finance  
(Shri Pankaj Chaudhary)**

- (a) & (b) The decision to freeze three installments of Dearness Allowance (DA) / Dearness Relief (DR) to Central Government employees/ pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 was taken in the context of COVID-19, which caused economic disruption, so as to ease pressure on Government finances.
- (c) No.
- (d) Does not arise.
- (e) The adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the Government had a fiscal spill over beyond FY 2020-21. Therefore, arrears of DA/DR were not considered feasible.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 172

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

172. श्री आनंद भदौरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने के लिए रोक दी गई थी, परन्तु जारी नहीं की गई थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे जारी नहीं करने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19, जिसके कारण आर्थिक व्यवधान हुआ, को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके।

(ग): नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा इसलिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है।

\*\*\*\*\*